नगर निगम, रूद्रपुर जनपद–ऊधमसिंह नगर की बोर्ड बैठक

दिनांक 25.03.2022 का कार्यवृत्त

पत्रांक–   /बोर्ड बैठक/2021–22   दिनांकः   /   /2022

आज दिनांक 25 मार्च, 2022 को प्रातः 11:00 बजे नगर निगम, रूद्रपुर के सभागार में निगम बोर्ड की बैठक आहूत की गयी, जिसमें महापौर एवं निम्न पार्षदगण/सदस्यगण उपस्थित हुये–

क्र. सं.	नाम महापौर/पदेन सदस्य/वार्ड पार्षद	पदनाम	वार्ड नम्बर/पता
1.	श्री रामपाल सिंह	महापौर	नगर निगम, रूद्रपुर
2.	श्री शिव अरोरा	मा0 विधायक	विधायक, विधानसभा–66, रूद्रपुर
3.	श्री सुरेश चन्द्र	पार्षद	वार्ड नं0. 01, फुलसुंगा, फुलसुंगी
4.	श्री विधान राय	पार्षद	वार्ड नं0 .03, ट्रांजिट कैम्प मध्य
5.	श्री सुशील मण्डल	पार्षद	वार्ड नं0 .04, ट्रांजिट कैम्प पश्चिमी
6.	श्रीमती प्रीती साना	पार्षद	वार्ड नं0 .05, मुखर्जीनगर
7.	श्री निमित कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 06, जगतपुरा
8.	श्री कैलाश राठौर	पार्षद	वार्ड नं0 07, आजाद नगर
9.	श्री शिव कुमार गंगवार	पार्षद	वार्ड नं0 08, विवेक नगर
10.	श्री मोहन कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 09, शिव नगर
11.	श्रीमती किरन लता	पार्षद	वार्ड नं0 10, राजा कालौनी/ठाकुरनगर
12.	सुश्री बबीता बैरागी	पार्षद	वार्ड नं0 11, संजय नगर
13.	श्री सीमा गुप्ता	पार्षद	वार्ड नं0 12,औधोगिक क्षेत्र
14.	श्री जितेन्द्र यादव	पार्षद	वार्ड नं0 14, भईपुरा
15.	श्री नाजिम अली	पार्षद	वार्ड नं0 15, पहाड़गंज
16.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	पार्षद	वार्ड नं0 16, विगवाड़ा
17.	श्रीमती शालू पाल	पार्षद	वार्ड नं0 17, खेड़ा दक्षिणी
18.	श्री सुनील कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 19, खेड़ा मध्य
19.	श्री अमित कुमार मिश्रा	पार्षद	वार्ड नं0 21, भूतबंगला पश्चिमी–दक्षिणी
20.	श्रीमती पुष्पा रानी	पार्षद	वार्ड नं0 22, रम्मपुरा पूर्वी
21.	श्रीमती पूजा	पार्षद	वार्ड नं0 23 रम्पुरा मध्य
22.	श्रीमती कमला देवी	पार्षद	वार्ड नं0.24, रम्पुरा पश्चिमी
23.	श्रीमती रजनी रावत	पार्षद	वार्ड नं0 26, सीरगोटिया
24.	श्रीमती दिव्या अनेजा	पार्षद	वार्ड नं0 28, मुख्य बाजार

25.	श्रीमती इलमा समरीन	पार्षद	वार्ड नं0 29, आदर्श कालौनी S.R.A.
26.	श्री आयुष तनेजा	पार्षद	वार्ड नं0 30, डी01 डी02
27.	श्री मोहन लाल खेड़ा	पार्षद	वार्ड नं0 32, भूरारानी
28.	श्री सुनील चौहान	पार्षद	वार्ड नं0 33, सिंह कालौनी
29.	श्री अम्बर सिंह	पार्षद	वार्ड नं0 34, इन्द्रा कालौनी
30.	श्रीमती श्यामली विश्वास	पार्षद	वार्ड नं0 35, आर्दश इन्द्रा कालौनी
31.	श्री बबलू सागर	पार्षद	वार्ड नं0 37, कल्याणी व्यू/रविन्द्रनगर
32.	श्रीमती रीना जग्गा	पार्षद	वार्ड नं0 38, आवास विकास पश्चिमी
33.	श्री रमेश कालड़ा	पार्षद	वार्ड नं0 39, आवास विकास पूर्वी
34.	श्री राजेश कुमार	पार्षद	वार्ड नं0 40, सिडकुल
35.	श्री धीरेश गुप्ता	नामित पार्षद	वार्ड नं0, 01
36.	श्री सुनील यादव	नामित पार्षद	वार्ड नं0, 02
37.	श्रीमती शालनी बोरा	नामित पार्षद	वार्ड नं0, 03
38.	श्री राजकुमार कोली	नामित पार्षद	वार्ड नं0, 07

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में विभिन्न संशोधनों सहित यथाप्रवृत्त) की धारा 90(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत एजेण्डे के अनुसार बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	प्रस्ताव स्वीकृति विवरण
1.	पिछली कार्यवाही की पुष्टि/अनुमोदन पर विचार।	वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा सदन के समक्ष पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा पारित प्रस्ताव के सापेक्ष कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया गया, जिस पर सदन द्वारा पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुमोदन सर्वसम्मति से की गयी।
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में हुए आय व्यय एवं अनुपूरक बजट पर विचार एवं वर्ष 2022–23 के बजट पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
3.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 04 जोनल ऑफिस की बिल्डिग/भवन का निर्माण कार्य।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

4.	सहायक नगर आयुक्त को फील्ड निरीक्षण, सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं देख–रेख के लिये राजकीय कार्यो हेतु वाहन एवं वाकी–टाकी/वायरलेस उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
5.	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को फील्ड निरीक्षण, निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं अन्य कार्यो हेतु वाहन एवं वाकी–टाकी/वायरलेस उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
6.	कर अधीक्षक को फील्ड निरीक्षण, वसूली एवं आवासीय भवनो/व्यवसायिक भवनों पर कर आरोपित किये जाने हेतु वाहन एवं वाकी–टाकी/वायरलेस उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
7.	सफाई निरीक्षक को फील्ड निरीक्षण हेतु वाहन एवं वाकी–टाकी/वायरलेस उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति पर विचार एवं सफाई नायकों को प्रत्येक माह रू0 400.00 फील्ड निरीक्षण भत्ता दिये जाने की स्वीकृति पर विचार ।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
8.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत भूमि की उपलब्धता अनुसार **"सफाई मित्र सेवा केन्द्र"** बनाये जाने एवं स्वास्थ्य उपकरण एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
9.	ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन अधिनियम, 2022 की उपविधि को लागू करने हेतु बोर्ड की स्वीकृति पर विचार।	मा0 महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन अधिनियम, 2022 को पढ़कर सदन को नियमावली के प्रत्येक भाग से अवगत कराया गया। सदन द्वारा बिन्दुवार चर्चा करते हुए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर आवश्यक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया।
10.	विडियों कॉन्फ्रेन्स हेतु कॉन्फ्रेन्स रूम के निर्माण किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
11.	डोर टू डोर कूडा कलेक्शन एवं प्रोसेसिंग की निगरानी के लिये Integrated Command and Control Centre बनाये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
12.	प्रत्येक जोन (कुल 04) मे कूडे का Transfer	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव

	Station बनाये जाने पर विचार।	सर्वसम्मति से पारित किया गया।
13.	नगर निगम में गृहकर जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	मा० महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम रूद्रपुर में जमा होने वाले भवन कर की पूर्ण जानकारी दी गई। सदन द्वारा चर्चा करते हुए भवन करदाताओं को भवन कर जमा करने पर निम्न निर्णय लिया गया। 1. भवन कर जमा कर छूट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह 31 अक्टूबर निर्धारित किया गया। 2- निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर तक जमा करने पर उक्त वित्तीय वर्ष में देय कर पर 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 3- पूर्व वित्तीय वर्ष का भवन कर अवशेष होने पर पूर्व वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वितीय वर्ष के करों पर छूट देय नही होगी। उपरोक्त प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
14.	मुर्गा–मछली मीट विक्रय शुल्क की वसूली के अनुबन्ध में समयावृद्धि करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
15.	नगर निगम की दुकानों का किराया नामान्तरण किये जाने हेतु उपविधि बनायें जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
16.	उत्तर प्रदेश नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत दिये गये विज्ञापन एवं इसके इतर (डिजिटल प्रचार–प्रसार) अन्य विज्ञापनों पर शुल्क निर्धारित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	मा० महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर में लागू विज्ञापन नीति एवं अन्य प्रचार–प्रसार के माध्यमों पर विस्तार से सदन को अवगत कराया गया। सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर आयुक्त विज्ञापन नीति के अनुसार एवं नगर निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित कार्यवाही कर लेवें।

17.	नगर निगम रूद्रपुर में कार्यरत कार्मिकों का आवास भत्ता शासनादेश 960/IV(1)/2021-20(आश्वासन) /2004 दिनांक 31.12.2021 के क्रम में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	मा0 महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा आवास भत्ता के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश को पढ़कर सदन को अवगत कराया गया। सदन द्वारा शासनादेशानुसार पनुरक्षित आवास भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
18.	नगर निगम रूद्रपुर में आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु ई-निविदा की प्रक्रिया विधान सभा निर्वाचन 2022 हेतु आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हाने के दृष्टिगत सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में नगर निगम रूद्रपुर में आउटसोर्स के माध्यम से मानवशक्ति की आपूर्ति हेतु मै0 जे0के0 इन्टरप्राईजेज के अनुबंध की अवधि को ई-निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
19.	आमजन को साफ-सफाई, गीला एवं सूखा कूडा पृथकीकरण, स्वच्छ सर्वेक्षण इत्यादि के लिये जागरूक करने हेतु हर जोन में एक एन0जी0ओ0 को अनुबंधित किये जाने की स्वीकृति पर विचार तथा प्रत्येक एन0जी0ओ0 को उनके प्रर्दशन के आधार पर प्रोत्साहन एवं परिचालन लागत दिये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
20.	पहाड़गंज स्थित पुराने ट्रंचिग ग्राउन्ड का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
21.	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत मुख्य स्थानों पर Recycled वस्तुओं से कलाकृति/आदर्श वाक्य/ नगर निगम, रूद्रपुर लिखवाये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
22.	विधान सभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत प्रभावी आदर्श आचार संहिता के कारण डोर टू डोर कूडा एकत्रीकरण एवं परिवहन हेतु ई-निविदा के माध्यम से चयनित फर्म के साथ अनुबंध न हो सकने की दशा में पूर्व से अनुबंधित फर्म मै0 आकांक्षा ईन्टरप्राईजेज के अनुबंध की अवधि को 04 माह के लिये बढाये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
23.	मै0 आकांक्षा ईन्टरप्राईजेज के अनुबंध की अवधि के समाप्त होने पर डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण एवं परिवहन हेतु ई निविदा के माध्यम से चयनित फर्म	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

	को अनुबंधित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।	
24.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवश्यक्तानुसार लेखन सामाग्री, बैनर फलैक्सी इत्यादि क्रय किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
25.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवश्यक्तानुसार कम्प्यूटर, फर्नीचर इत्यादि क्रय किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
26.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत छूटे हुए परिवारों को गीले एवं सूखे कूडे के पृथक–पृथक संग्रहण हेतु डस्टबिन उपलब्ध कराये जाने के लिये आवश्यक्तानुसार डस्टबिन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
27.	नगर निगम, रूद्रपुर के प्रत्येक वर्क एजेंन्टों को क्षेत्र भ्रमण के लिये प्रतिमाह 10 ली0 पेट्रोंल दिये जाने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
28.	नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 15वें/राज्य वित्त आयोग मद से ई–निविदा के माध्यम से विभिन्न वाल्टेज क्री एलईडी स्ट्रीट लाईटो, विभिन्न लाईट मरम्मत सामग्री एवं अन्य विद्युत उपकरण/ सामग्री क्रय करने एवं स्वचलित उपकरण खरीदने पर विचार।	मा0 महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा संपूर्ण नगर में संचालित हो रहे स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट लाईटों की जानाकारी देते हुए सदन को यह अवगत कराया गया कि लाईटों को मैन पावर के माध्यम से जलाने एवं बन्द करने का कार्य किया जा रहा है यदि इन लाईटों को जलाने एवं बुझाने हेतु टाईमर लगा दिया जाए या आटो कर नवीन लाईटें स्थापित कर दी जायें तों लाईटों को समय से जलाने एंव बुझाने का कार्य आसान हो जायेगा तथा इससे विद्युत खपत में कमी एवं मैन पावर में भी कमी आयेगी। इससे निगम को आर्थिक लाभ भी होगा। सदन द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर यथोचित कार्यवाही करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
29.	आई0आई0एम0 काशीपुर के एक MBA Finance के छात्र को एक माह अथवा अधिकतम दो माह के लिये अधिकतम मानदेय रू0 10,000.00 में Internship कराये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
30.	गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर तथा जल संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव

	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समस्त वार्डो में भू-गर्भ जल/सतहीय जल की गुणवत्ता का परीक्षण एक वर्ष में दो बार किये जाने का प्रस्ताव एवं इस सन्दर्भ में होने वाले व्यय का भार 15वें वित्त/राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फंड से किये जाने का प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से पारित किया गया।
31.	नगर निगम के समस्त 40 वार्डो में कूडा की मात्रा का आंकलन करने तथा कूडा निस्तारण के संदर्भ में विस्तृत प्लान बनाने के लिये एक एजेन्सी को अनुबंधित करने एवं इसमे आने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड फंड से करने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
32.	नगर पालिका दिवस एवं नगर निगम स्थापना दिवस धूमधाम से बनाये जाने एवं उक्त दिवस में स्वच्छता परेड निकाले जाने एवं स्वच्छता के कार्य में लगें कार्मिकों को **"सफाई के सिपाही"** का दर्जा देना एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले **"सफाई के सिपाही"** को सम्मानित करने की स्वीकृति पर विचार।	मा0 महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम गठन उपरान्त आज दिनांक तक नियम द्वारा स्थापना दिवस का कभी भी आयोजन नही किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए स्थापन दिवस मनाये जाने एवं उक्त दिवस में स्वछता परेड निकाले जाने, स्वछता के कार्य में लगे कार्मिको को **"सफाई के सिपाही"** के नाम से सम्मानित करने का प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
33.	आवश्यक्तानुसार **कूडा रिक्शा** क्रय करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
34.	नगर निगम,रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत निर्मित कम्पोस्ट पिटों तथा नगर निगम रूद्रपुर परिसर में स्थापित तीन नग कम्पोस्टिग मशीनों तथा एक नग प्लास्टिक कोम्पेक्टर को निशुल्क/शुल्क परिस्थिति अनुसार आउटर्सोस के माध्यम से किराये पर दिये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
35.	नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत पालिथिन कैरी बैग/ थर्माकोल के केटलरी को प्रतिबंधित किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
36.	नगर निगम की परिसीमा में शामिल नये क्षेत्रों में होर्डिग/यूनिपोल विज्ञापन लगाये जाने की धनराशि निर्धारित किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
37.	नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत जोन कार्यालय हेतु भूमि का चयन करना, साथ ही नगर निगम के पक्ष में फ्री- होल्ड कराये जाने पर विचार।	मा0 महापौर महोदय के अनुमति उपरान्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम रूद्रपुर को

		जनहित एवं कार्यहित में 04 जोनों में विभाजित करने की जानकारी एवं प्रत्येक जोन का कार्यालय स्थापित करने हेतु भूमि की आवश्यकता की जानकारी सदन को दी गई। सदन द्वारा चर्चा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आवश्यकतानुसार भूमि का चयन कर लिया जाए। यदि नजूल भूमि प्राप्त होती है तो उसे नगर निगम के पक्ष में फ्री होल्ड कराने की कार्यवाही कर ली जाए तथा राजस्व/व्यक्तिगत भूमि प्राप्त होती है तो उसे निगम के नाम हस्तान्तरित करने/ व्यक्तिगत भूमि क्रय करने की कार्यवाही कर ली जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
38.	रूद्रपुर नगर निगम सैप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन –2019 के नियम संख्या 12.5 यूजर चार्जेज डिस्ट्रीबूशन के तहत नगर निगम, रूद्रपुर में पंजीकृत प्राईवेट सैप्टेज टैंकर स्वामियों से नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा लिया जाने वाला शुल्क दिनांक 28.01.2022 से आगामी 06 माह तक के लियें माफ करने पर विचार तथा नियम संख्या 12 की तालिका के क्रम संख्या 03 पर अंकित पक्के मकान के शुल्क को रू0 1500.00 प्रति ट्रिप से घटाकर रू0 1000.00 प्रति ट्रिप करने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
39.	PPP मोड में सिंचाई विभाग के साईड में भूमि पर वैडिंग जोन बनाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
40.	लाईट वेट मैटेरियल से हॉल का निर्माण कर रेटरोफिटिंग द्वारा क्यूबिकल चैम्बर बनाये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
41.	वार्ड नं0 39 में **संत रविदास धर्मशाला** का निर्माण।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
42.	ठेकेदारों की जमानत राशि $1\frac{1}{2}$ वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
43.	कल्याणी नदी पर खर्च की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

44.	रूद्रपुर सैप्टेज ट्रींटमेंट प्लान्ट (125 के0एल0डी0) के निर्माण के लिये किच्छा बाईपास मार्ग पर BHEL के बराबर स्थित रिक्त भूमि में से 90 मी0 X 50 मी0 भूमि प्लान्ट निर्माण के लिये तथा 50 मी0 X 05 मी0 भूमि पहुँच मार्ग के लिये आवंटित करने की स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45.	**अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष / मा0 बोर्ड की अनुमति से।**	
45(1)	कबीर द्वार का सौन्दर्यकरण।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि कोतवाली, रूद्रपुर के सामने स्थित कबीर द्वार का सौन्दर्यकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(2)	नगर निगम क्षेत्र में स्थित मोबाइल टावरों पर पंजीकरण लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क लगाए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(3)	मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत लंबित कार्यो हेतु धनराशि की मांग किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(4)	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय पर हार्डिंग एवं विज्ञापन के माध्यम से उसके द्वारा प्राप्त शुल्क से उसका शौचालयों का रखरखाव की व्यवस्था पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(5)	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र को plastic&free बनाए जाने के प्रयास पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(6)	बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने पर हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु आउटसोर्स के माध्यम से मावनशक्ति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(7)	निगम रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत 20 स्थानों पर सम्मानित पार्षदों की राय से महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

45(8)	नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए गांव को स्वामित्व योजना का लाभ दिलाने हेतु शासन से पत्राचार किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(9)	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत निर्मित एबीसी सेंटर हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री टेंडर के माध्यम से क्रय किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(10)	सड़कों का महापुरुषों के नाम पर नामकरण किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(11)	अमृत योजना के अंतर्गत पानी का कनेक्शन लेने हेतु निर्धन लोगों का शुल्क नगर निगम रुद्रपुर की ओर से दिए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(12)	नगर निगम रुद्रपुर स्थित पार्कों का सुंदरीकरण कराए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(13)	पांच श्मशान घाट के सौंदर्यीकरण की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(14)	पर्यावरण मित्रों को दिए जाने वाले झाड़ू भत्ते को 90 से बढ़ाकर 200 प्रतिमाह किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(15)	नगर निगम क्षेत्र स्थित नवीन आधुनिक स्लाटर हाउस बनाए जाने की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(16)	नगर निगम रूद्रपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बच्चों द्वारा 80% से अधिक अंक हासिल करने पर उनकी फीस नगर निगम रूद्रपुर द्वारा दिए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(17)	वर्षा काल से पूर्व नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत समस्त बड़े नालों की सफाई किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(18)	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत साफ सफाई हेतु आवश्यकता अनुसार झाड़ू, फावडे, बेलचे इत्यादि किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

45(19)	आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण ट्रेड लाइसेंस हेतु नवीन टेंडर ना किए जाने की दशा में 4 माह के लिए टेंडर को बढ़ाए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(20)	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु शासन से प्राप्त धनराशि समाप्त होने पर अतिरिक्त धनराशि नगर निगम रूद्रपुर बोर्ड फंड से व्यय किए जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
45(21)	वर्तमान में बजट की कमी के कारण अति आवश्यक छोटे–छोटे निर्माण कार्यों को कोटेशन के आधार पर कराये जाने तथा उनका भुगतान निगम निधि से किये जाने पर विचार।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया कि पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए बजट उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहे है। इसलिए छोटे–छोटे कार्य जो रू0 2.50 लाख के अन्तर्गत है उक्त अति आवश्यक कार्यों को तत्काल कोटेशन के माध्यम से किये जाने तथा उन पर होने वाले व्यय नगर निगम निधि से किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
नोटः– उपरोक्त स्वीकृत प्रस्तावों में आने वाले व्यय का वहन शासन द्वारा जारी शासनादेशों, धनावंटन में दिये गये निर्देशों तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रूद्रपुर के लेखा अनुभाग का दायित्व निर्धारित किया गया।		

बैठक के अन्त में मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित पार्षदगणों/सदस्यों/ अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की सहर्ष घोषणा की गई।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर